समाचार.प्रकाषनार्थरू.

जोर आजमाइश का हुआ खेल .खिलाड़ी इतने मजबूत थे कि रस्सी कमजोर पड़ गई
आनन्द उत्सव के तहत हनुमान ताल पर हुआ खेल व गायन प्रतियोगिता का आयोजन
निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वच्छता में रतलाम को नम्बर.1 बनाने का किया आव्हान

रतलाम 23 जनवरी । लोगों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से मप्र राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंद उत्सव तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत हनुमान ताल पर 40 वर्ष से अधिक उम्र वालो के लिए विभिन्न पारंपरिक खेल मटका फोड़ए पकड़म.पाटीए रस्सा खेंच व भजन.गीत गायन आदि प्रतियोगिता में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हुए खुब आनन्द उठाया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने रस्सा खेंच प्रतियोगिता की शुरुआत कर जोर आजमाइश का आनंद लिया। महिलाओं की रस्सा खेंच प्रतियोगिता बहुत मजेदार रही। पुरुषों की रस्सा खेंच में बड़ी जोरदार टक्कर रही एदेर तक रस्सा खींचा रहने से रस्सा ही टूट गया। मटका फोड़ प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने अपना कौशल आजमायाएलेकिन सफलता मिली कमल सिंह राठौर को। मटका फोड़ की आवाज पूरे हनुमान ताल पर गूंज उठी।
इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम को नम्बर.1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के सभी नागरिकों की सहभागिता हो इस हेतु उन्होने आव्हान किया कि कम से कम कचरा उत्सर्जित करेंए घरों.दुकानों.प्रतिश्ठानों से निकलने वाला कचरा निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालेए गीले कचरे से घरों में मटका या बाल्टी से जैविक खाद बनायेंए सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग ना करें।

उन्होने कहा कि स्वच्छता के साथ पर्यावरण सुधार में भी आम नागरिकों की सहभागिता आवष्यक है इस हेतु अपने.अपने क्षेत्रों के उद्यानों में औशधीय पौधों का रोपण 15 फरवरी के पूर्व करें पौधों की उपलब्धता नगर निगम द्वारा करवाई जायेगी।

पुरुषों व महिलाओं ने पकड़म पकड़ाईए चैन रेस जैसे खेल से अपने बचपन की यादें ताजा की। खेल का उत्साह इतना था कि रतन हँसराजानी ने दोनों पैरो मे रॉड होने पर भी खेल का आंनद लिया। समस्त खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक राशिद खानए डॉ अनामिका सारस्वत व परवेश परमार रहे।

खेल प्रतियोगिता में उत्साह वर्धन के लिए मप्र जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय एस्वास्थ्य अधिकारी श्री जी०के० जायसवालए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह एभी उपस्थित थे। पर्यावरण विद खुशहाल सिंह पुरोहित ने कहा कि भागदौड़ की जिंदगी में आनंद के क्षण प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने मप्र सरकार एनगर निगम व मप्र राज्य आनंद संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आनंद बांटना कोई सरकार का काम नहीं हैएलेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंद उत्सव आयोजित कर सभी लोग जो शारीरिक रूप से क्षीण हैंए उनमें उत्साह का संचार किया है।

आनंदक प्रतिभा सिन्हाए सुषमा अग्निहोत्रीए आशा पूरी एधर्मा कोठारी एराजेन्द्र चतुर्वेदी एसुरेन्द्र अग्निहोत्रीएपुष्पेंद्र सिंह सिसौदियाएविशाल वर्मा ने सभी प्रतियोगिता करवाने में सहयोग किया।आनंदम सहयोगी गिरीश सारस्वत ने इस आयोजन में नगर निगम के सहयोग एव्यवस्था का आभार व्यक्त किया। आनंदम सहयोगी सीमा अग्निहोत्री ने बताया कि 26 जनवरी को हनुमान ताल पर 11 बजे से स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त रतलाम हेतु रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है। इस रंगोली प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते हैंए लेकिन रंगोली के रंग अपने घर से ही लाने होंगे।

प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहेरू. मटकी फोड़.प्रथम कमल सिंह राठौरए द्वितीय आरती त्रिवेदीए तृतीय आशा तिवारीए चैन रेस;महिलाद्ध. प्रथम सुनीता खन्नाए द्वितीय सुमित्रा हँसराजानीए तृतीय राधा सांखलाए चैन रेस;पुरूषद्धश प्रथम ईष्वर सिंह राठौरए द्वितीय कमल सिंह राठौरए तृतीय रतन हँसराजानीए रस्सा खेंच विजेता टीम;महिलाद्ध.प्रभा बक्शीए राजश्री गोधा एआरती त्रिवेदीए राधा सांखला ए रस्सा खेंच विजेता टीम ;पुरूषद्ध. ईष्वर सिंह राठौरए दिनेश शेट्टीए अरुण तिवारीएरामचंद्र पाठकएसंदीप नारलेए बंसीलाल मजावदीयाएललित खन्नाए नरेंद्र त्रिवेदीए गायन.प्रथम अणिमा आचार्यए द्वितीय ईष्वर सिंह राठौर व तृतीय पवन मकवाना रहे।

गंदगी करने पर 3 दुकानें 24 घन्टे के लिये सील
मास्क नहीं लगाने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना
नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें
गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 जनवरी को 3 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गंदगी करने पर विष्वमंगल दूध डेरी राम मंदिर पर 2000ए राठौर रेस्टोरेंट नाहरपुरा पर 1000 व महालक्ष्मी रेस्टोरेंट षहर सराय पर 500 रूपये का जुर्माना कर 24 घन्टे के लिए दुकाने सील की गई। इसके अलावा एक पिक अप वाहन द्वारा खुले में सब्जी फेंकने पर वाहन को जब्त किया गया।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 12 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ.स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

बोहरा बाखल में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन
नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 49ण3 लाख व जलकर 10ण94 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 23 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू व जलकर 54ए850रूए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रू व जलकर 34ए520रूए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रू व जलकर 63ए450रूए विनोबा नगर

षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व

19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान कराना होगा रजिस्ट्रेषन

2 से अधिक ष्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 23 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं उन्हे अब अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8168 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 23 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 23 जनवरी रविवार तक 8168 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 79ण्39 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

23 जनवरी को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 23 जनवरी रविवार को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

23 जनवरी रविवार को डम्पर से 14005ए टेª क्टर से 12070ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 17430 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17425 इस तरह कुल 61030 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2905 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 92 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 23 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2558 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 190 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 92 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 23 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 23 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक

कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निशठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्23ण्01ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्